वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 26.04.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, आज, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 26.04.2025

अवैध निर्माण स्थलों पर हुई कार्रवाई

वाराणसी। हरिहरपुर (रिंग रोड के सटे उत्तर) में रिंकू जायसवाल बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण करा रहे थे। यहां वीडीए द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की गई। यहीं शशांक कुमार सिंह बिना मानचित्र पास कराए निर्माण करा रहे थे। कोईराजपुर, गंजारी जाने वाली रिंग रोड (पूरब) पर विकास वर्मा द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए ही निर्माण कराया जा रहा था। यहां सीलिंग की कार्रवाई की गई। वीडीए वीसी पुलकित गर्ग ने बताया कि इसी तरह रामसिंहपुर, परगना-अठगांवा में शालिनी शर्मा जमीन पर दो हॉल का निर्माण करा रही थी। इसका भी मानचित्र पास नहीं था, यहां सीलिंग की कार्रवाई की गई। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 26.04.2025

टॉप टेन बकायेदारों पर होगी कार्रवाई

वाराणसी। वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने शुक्रवार को जोनल अफसरों के साथ बैठक की। सभी जोनल अफसरों ने किए गए कार्यों और वसूली की जानकारी दी। उन्होंने सभी मदों में टॉप टेन बकायेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने सभी को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक मानचित्र स्वीकृत कर शमन शुल्क जमा कराए। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 26.04.2025

वीडीए ने बिजली विभाग से मांगे 1.19 करोड़

जागरण संवाददाता, वाराणसी : पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम कार्यालय का वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत होने के बाद भी शमन शुल्क 1.19 करोड़ रुपये जमा नहीं किया। वीडीए सचिव डा. वीपी मिश्रा ने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का शमन मानचित्र दाखिल होने के साथ नक्शा पास किया गया था। शमन मानचित्र शुल्क 1.19 करोड़ रुपये बकाया है। बकाया राशि जमा करने के लिए पत्र लिखा गया है।

दैनिक जागरण–दि0 26.04.2025

विकास प्राधिकरण ने चार अवैध निर्माण किया सील

वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव गुडाकेश शर्मा ने शुक्रवार को जोन एक में 23 भवनों का स्थलीय निरीक्षण किया। चार निर्माण अवैध मिलने पर सील कर दिया गया। जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा ने बताया कि शिवपुर वार्ड के हरिहरपुर में रिंकू जायसवाल, कौवापुर में शशांक कुमार सिंह कोईराजपुर विकास वर्मा और अठगांवा में शालिनी शर्मा अवैध निर्माण कर रही थी। उसे सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। (जासं)

दैनिक जागरण–दि0 26.04.2025

बिना नक्शा पास कराए संचालित पेट्रोल पंपों को करें सील : सचिव

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण सचिव डा. वीपी मिश्रा ने शुक्रवार को प्राधिकरण सभागार में शमन मानचित्र, शमन शुल्क की वसूली, आइजीआरएस, बिना ले-आउट पास कराए जमीन की अवैध प्लाटिंग और निर्माण को लेकर विभागीय समीक्षा की।

जोन में बिना नक्शा पास कराए पेट्रोल पंपों के संचालित होने पर अवर अभियंता से जवाब-तलब किया है। जोनल अधिकारी को निर्देश दिया कि बिना नक्शा पास कराए संचालित पेट्रोल पंपों को सील करें। जिन्हें नोटिस जारी किया गया है उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करें। क्षेत्र में अवैध निर्माण मिलने पर वार्ड के सुपरवाइजर और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजें। सचिव ने बताया कि अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कसने के साथ जोनल अधिकारी और अवर अभियंता को महीने में कम से कम 20 शमन मानचित्र दाखिल कराने का निर्देश दिया गया है। खासकर बड़े भवनों पर कार्रवाई करना है जिससे अवैध निर्माण वैध हो सके।

क्षेत्र में अवैध निर्माण पर रोक लगाने के साथ भवन स्वामी से नक्शा दाखिल कराना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि अवैध निर्माण बंद कराकर शांत बैठ जाना है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में जोन तीन ने आठ करोड़ 38 लाख 72328 रुपये, जोन चार ने नौ करोड़ 96 लाख 17586 रुपये और जोन पांच ने छह करोड़ 12 लाख 16740 रुपये राजस्व प्राप्त किया है। तीन जोन मिलाकर कुल 24 करोड़ 47 लाख 6654 रुपये राशि प्राधिकरण कोष में जमा कराया। इस अवसर पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, शिवाजी मिश्रा आदि मौजूद थे।

हिन्दुस्तान–दि0 26.04.2025

वाटर पार्क और होटल समेत चार निर्माण सील

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने शुक्रवार को अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अपर सचिव गुडाकेश शर्मा के नेतृत्व में टीम ने वाटर पार्क समेत चार अवैध निर्माण सील किए। टीम ने 23 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया। शिवपुर वार्ड के रामसिंहपुर गांव में बिना मानचित्र के 75 बिस्वा जमीन में बनाए जा रहे वॉटर पार्क को सील किया गया। 1200 वर्गफीट में दो हॉल और 2800 वर्गफीट में अन्य निर्माण को रोका गया। शिवपुर वार्ड में ही हरिहरपुर गांव में दो अवैध निर्माण सील किया गया, जिनमें एक होटल भी शामिल है। कोईराजपुर में 50 गुणे 60 फीट में रो हाउस का निर्माण करने के बाद फिनिशिंग के दौरान भवन को सील कर दिया गया।

न्यायाधीश–दि0 26.04.2025

वाविप्रा के विभिन्न जोनों के साप्ताहिक कार्यो की प्रगति समीक्षा की गई

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव महोदय डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा जोन.3 ;वाड.दशाश्वमेध चेतगंज चौक व कोतवाली जोन.4 ;भेलूपुर व नगवां जोन.5 ;रामनगर व मुगलसराय का साप्ताहिक कार्यों के प्रगति ;09.04.2025 से 23.04.2025 तक. कार्यों की समीक्षा की गयी। जोन.3 के जोनल अधिकारी श्री सौरभ देव प्रजापति. अवर अभियन्ता श्री राजू कुमार. जोन.4 के जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार.अवर अभियन्ता श्री आदर्श निराला एवं ए जोन.5 के लिंक अधिकारी श्री प्रकाश कुमार.अवर अभियन्ता श्री अशोक कुमार यादव व मुख्य भवन लिपिक विन्यास लिपिक एवं अन्य लिपिक उपस्थित रहे।उक्त समीक्षा बैठक में आलोच्य अवधि में जमा शमन मानचित्र स्वीकृत शमन मानचित्र तावान शमन शुल्क की वसूली पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों पर असन्तुष्ट प्रतिक्रिया पर कार्य करने हेतु निर्देशित किये अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अनाधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल ध् डीजल .सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशनों के विरूद्ध कार्यवाही तीनो जोन के जोनल अधिकारियों को निर्देशित किये की जितने भी पुराने लम्बित शमन मानचित्र की फाइल को अतिशिघ्र निस्तारण के लिये आदेशित किया गया विन्यास व भवन ;वार्ड के टॉप.10 बकायेदारों आदि मुख्य बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी। वित्तीय वर्ष 2024.2025 में जोन .3 द्वारा रु 8.38.72.328 जोन.4 द्वारा रु 9.96.17.586 जोन.5 द्वारा रु 6.12.16.740 इस प्रकार कुल 24.47.06.654 धनराशी प्राधिकरण कोष में जमा कराई गयी थी। आलोच्य अवधि में जोन.3 द्वारा 02 जोन.4 द्वारा 02 व जोन.5 द्वारा 01 इस प्रकार कुल 05 शमन मानचित्र स्वीकृत किया गया।

आज–दि0 26.04.2025

शिवपुर वार्ड में अवैध निर्माण को लेकर अपर सचिव ने लगायी अधिकारियों की क्लास

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर अपर सचिव गुडाकेश शर्मा ने २३ स्थानों के निर्माण का निरीक्षण किया जिसमें चार निर्माण सील कराये गये। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय जोनल अधिकारी और अवर अभियंता से नाराजगी व्यक्त करते हुए अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया। वार्ड शिवपुर मौजा-हरिहरपुर भवन स्वामी रिंकू जायसवाल ने बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कार्य करा रहे थे। मौजा-हरिहरपुर में ही शशांक कुमार सिंह ने बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण की काररवाई कर रहे थे। जो कि इन्हें नोटिस भेजी गयी थी कि बिना स्वीकृति के कार्य न किया जाय लेकिन इन्होंने भवन निर्माण कार्य जारी रखा। इसी तरह कोईराजपुर-गंजारी में भी बिना अनुमति के भवन का निर्माण कराया जा रहा था। मौजा-रामसिंहपुर परगना अठगांवां एक भवन स्वामिनी ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कार्य करा रही थी। तीनों स्थानों पर अपर सचिव के अलावा जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्र, अवर अभियंता रोहित कुमार, क्षेत्रीय सुपरवाइजर, पुलिस की देखरेख में भवनों को सीज कर दिया गया और निकटम थाने की प्रतिरक्षा में सुपुर्द कर दिया गया। इस दौरान काररवाई में भवन स्वामियों से निवेदन किया गया कि फोटोग्राफ सहित प्रभारी अधिकारी भवन के समक्ष सात दिन में प्रस्तुत हों और शमन मानचित्र दाखिल करें।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 26.04.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव ने की समीक्षा बैठक

वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा जोन–3 वार्ड–दशाश्वमेध, चेतगंज, चौक व कोतवाली, जोन–4 भेलूपुर व नगवां, जोन–5 रामनगर व मुगलसराय का साप्ताहिक कार्यों के प्रगति 09/04/2025 से 23/04/2025 तक कार्यों की समीक्षा की गयी। जोन–3 के जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियन्ता राजू कुमार, जोन–4 के जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियन्ता आदर्श निराला एवं , जोन–5 के लिंक अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता अशोक कुमार यादव व मुख्य भवन लिपिक, विन्यास लिपिक एवं अन्य लिपिक उपस्थित रहे। उक्त समीक्षा बैठक में आलोच्य अवधि में जमा शमन मानचित्र, स्वीकृत शमन मानचित्र, तावान / शमन शुल्क की वसूली, IGRS पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों पर असन्तुष्ट प्रतिक्रिया Negative Feedback पर कार्य करने हेतु निर्देशित किये, अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही, अनाधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल / डीजल/ सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशनों के विरूद्ध कार्यवाही, तीनो जोन के जोनल अधिकारियों को निर्देशित किये की जितने भी पुराने लम्बित शमन मानचित्र की फाइल को अतिशिघ्र निस्तारण के लिये आदेशित किया गया, विन्यास व भवन वार्ड के टॉप–10 बकायेदारों आदि मुख्य बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी। वित्तीय वर्ष 2024–2025 में जोन –3 द्वारा रु 8,38,72,328 जोन–4 द्वारा रु 9,96,17,586 जोन–5 द्वारा रु 6,12,16,740 इस प्रकार कुल 24,47,06,654 धनराशी प्राधिकरण कोष में जमा कराई गयी थी द्य आलोच्य अवधि में जोन–3 द्वारा 02 , जोन–4 द्वारा 02 व जोन–5 द्वारा 01 इस प्रकार कुल 05 शमन मानचित्र स्वीकृत किया गया। आलोच्य अवधि में जोन–3, 4 व 5 द्वारा शमन शुल्क के मद में कुल रु 1,48,90, 323.00 प्राधिकरण कोष में जमा हुआ । सचिव महोदय द्वारा समस्त जोनल अधिकारी एवं अवर अभियंता को निर्देशित किया गया कि वे अधिक से अधिक मानचित्र स्वीकृत कर शमन शुल्क जमा कराये।